न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 76 / 2020

अनवान : –

1. मंजु पत्नी संदीप कुमार पुत्री स्व. ख्यालीराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. दुनीचन्द पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर ।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212(1) बी आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 28/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायला ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थाश काश्तकार अधिनियम की धारा 212 (1) बी के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता सं. 40 / 44 के ख0न0 87 की 3.5420 हैक्ट ख0न0 99 की 0.5060 हैक्ट भूमि ख0न0 170 / 1 की 6.2900 हैक्ट ख0न0 248 की 14.2820 हैक्ट ख0न0 267 की 0.9110 हैक्ट ख0न0 268 की 3.6560 हैक्ट भूमि ख0न0 282 की 2.3400 हैक्ट भूमि कुल 7 खसरेजात की 31.5270 हैक्ट भूमि स्थित है तथा ग्राम ढाणी लेधान तहसील रावतसर के ख०न० 1272 व 1273 की 26 बीघा भूमि में से 1 / 3 हिस्सा अर्थात 8 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है

ख्यालीराम वल्द रेखाराम के एक मात्र सन्तान सायला ही है इसके अलावा ख्यालीराम के कोई सन्तान नही थी तथा कोई पुत्र सन्तान नहीं है सायला के पिता वृद्ध हो चुके थे। उनसे जमीन हडपने के चक्कर में गैरसायल सं. 1 ने सायला के पिता से साजिश पूर्वक बेईमानी से दिनांक 10.4.2018 को एक कथित दत्तक ग्रहण विलेख लिखा लिया जिसको निरस्त करवाने हेतु सायला द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय नोहर में मंजु बनाम दुलीचन्द वाद प्रस्तुत कर रखा है। मिन सायला के पिता ख्यालीराम जन्म से ही हिन्दु थे जन्म भर हिन्दु ही रहे पिता ख्यालीराम के एक मात्र सन्तान वादिया ही है इनके कोई पुत्र सन्तान नही है गैरसायल सं. 1 कभी भी पुत्र की हैसियत से नही रहा है। तथा गैरसायल सं. 1 अपने पिता श्योकरण व माता मोहनी के पास ही रहता था। श्योकरण व मोहिनी ने गैरसायल सं. 1 का पालन पोषण किया था गैरसायल सं. 1 ने सायला के पिता ख्यालीराम की कोई सेवा चाकरी नही की तथा सम्बत 2040 के अक्षय तुतीय को हिन्दु विधि व रीति रीवाज के अनुसार गिविंग एण्डटेंकिग की रस्म नही हुई तथा दत्तक गृहण दिनांक 9.4.2018 को सायला के पिता ख्यालीराम की सहमति से नही करवाया तथा गैरसायल सं. 1 ख्यालीराम के पुत्र की हैसियत से कभी नही रहा है। तथा गैरसायल सं. 1 को गांव में जान पहचान के लोगो रिश्तेदारो में तथा समाज में जानकर श्योकरण के पुत्र के रूप में जाना जाता है। तथा गैरसायल सं. 1 की वदिलाद समस्त दस्तावेजो में श्योकरण ही दर्ज है तथा वाद भूमि ख्यालीराम सायला जो ख्यालीराम की इकलोती सन्तान है को देने के इच्छुक थे तथा सायला के पिता द्वारा दिनांक 5.5.2003 को गैरसायल सं. 1 के पक्ष में कोई वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निष्पादित नही की है ख्यालीराम का अपनी इकलोती पुत्री सायला के साथ आपार स्नेह था। वे अपने जीवनकाल में अपनी एक मात्र पुत्री को अपनी सम्पूर्ण सम्पति से वंचित नही करना चाहते थें वे सम्पूर्ण सम्पति को सुरक्षित रखकर केवल सायला को उक्त भूमि देना चाहते थे उन्होने अपने जीवनकाल में भाई श्योकरण को 20 बीघा कृषि भूमि देने के अलावा गैरसायल सं. 1 को कभी कोई सम्पति देने व वसीयत कराने की चर्चा व इच्छा जाहिर नही की, गैरसायल सं. 1 द्वारा सायला को सम्पूर्ण सम्पति से वंचित करने के लिए बेईमानी पूर्वक आशय से साजिस पूर्वक वसीयतनामा दिनांक 5.5.2003 सन्देहास्पद परिस्थितियों में व स्थिति में तैयार किया गया है जो शुन्य दस्तावेज है। इसलिए तथाकथित दस्तावेज गोदनामा दिनांक 10.4.2018 व वसीयत दिनांक 5.5. 2003 सायला पुत्री के होते हुऐ गैरसायल सं. 1 ने बेईमानी साजिस वंश सायला के पिता को धोखे व मुगालाते में रखकर उनकी वृद्धावस्था व बीमारी का फायदा उठाकर वाद भूमि हड़प करने की नियत से करवाया गया है। गैरसायल सं. 1 जब खोलायत पुत्र होता तो उसे वसीयत करवाने की क्या जरूरत थी उक्त दोनो ही दस्तावेज सायला के खातेदारी हकुक के विपरित है तथा सायला के पिता के इच्छा विरूद्ध व साजिसाना है तथा (Ignore) इग्नोर किये जाने योग्य है। सायला स्वं. ख्यालीराम की एक मात्र सन्तान है ख्यालीराम की मृत्यु के पश्चात उनकी सम्पूर्ण कृषि भूमि की एक मात्र वारिस उतराधिकारी सायला है इसलिए वाद भूमि की सायला अकेली खातेदार / गैरखातेदार है तथा मृतक ख्यालीराम का नाम कलमजन करवाकर सायला बतौर खातेदार काश्तकार /गैरखातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है उपरोक्त आशयों की सायला घोषणा करापाने की अधिकारिणी है। एव धारा 18 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सन् 1908 के अनुसार सायला ग्राम ढाणी लेधान तहसील रावतसर के ख0न0 1272 व 1273 की 26 बीघा में से भूमि जो मृतक ख्यालीराम के नाम से है सायला खातेदार घोषित करवापाने की भी अधिकारिणी है। तथाकथित वसीयत में कोई परिवार का सदस्य रिश्तेदार व गांव का व्यक्ति स्वतत्र गवाह नही है ख्यालीराम द्वारा अपने जीवनकाल में कभी अपने परिवार व निजी रिश्तेदारो के सामने कथित वसीयत की चर्चा ही नहीं की थी इसलिए सम्पूर्ण सम्पति की कथित वसीयत सदभावपूर्वक ख्यालीराम की स्वतन्त्र इच्छा व सहमति से निष्पादित वसीयत नही होने से शुन्य है एवं गैरसायल सं. 1 ख्यालीराम के दत्तक पुत्र की हैसियत से नही रहा है। तथा गैरसायल सं. 1 बचपन से अपने पिता श्योकरण के पास रहता रहा है। गैरसायल सं. 1 ने कभी भी ख्यालीराम व उसकी पत्नी की सेवा चाकरी नही की वे समस्त दस्तावेजो में वल्दियत श्योकरण दर्ज है गैरसायल सं. 1 ख्यालीराम का दत्तक पुत्र नही है कथित वसीयत गैरसायल सं. 1 द्वारा महज कृषि भूमि व कय सम्पति हड़प करने की नियत से मिथ्या तैयार करवाई है। रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के ख0न0 268, 248 व 282 व 267, 87, 99, 170 में कुल 124 बीघा 13 बिस्वा भूमि में ढाणी लेघान तहसील रावतसर के ख0न0 1272, 1273 में स्थित 26 बीघा भूमि जो ख्यालीराम के पिता रेखाराम वल्द शेराराम के नाम से भी जिसमें ख्यालीराम का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। तथा रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के ख0न0 170 की 63 बीघा 14 बिस्वा भूमि ख०न० 197 की 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि कुल 74 बीघा 13 बिस्वा भूमि रेखा वल्द शेरा की जो कि सायला के दादा है कि अर्जित एंव नोतोड करदा भूमि है जो कि मिसल बदोबस्त सम्बत 2029 ता 2038 के खाता सं. 1[illegible]ष्ट दर्ज है तथा रोही मौजा श्योरानी के ख0न0 11, 28, 44 की 137 बीघा [illegible] के दादा का निस्फ हिस्सा दर्ज है जमाबन्दी सम्बत 2014 से 201[illegible]जा श्योरानी के ख०न० 99 की 84 बीघा 3 बिस्वा भूमि भी सायला के दादा की अर्जित भूमि [illegible] अर्थात श्योरानी की भूमि सायला के दादा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रेखाराम वल्द शेरा की अर्जित के साथ उनके जीवनकाल में सायला ब.हि.ब. की खातेदार काश्तकार थी। तथा अब सायला अकेली खातेदारी काश्तकार है तथा कथित वसीयत दिनांक 5.5.2003 पैतृक भूमि की है जिसे सायला के पिता ख्यालीराम को करने का अधिकार नही है। तथा पैतृक भूमि की वसीयत प्रारम्भतः ही शुन्य है तथा रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के ख0न0 42,44,54 के ख0न0 296 में कुल 74 बीघा 3 बिस्वा भूमि गोचर, गै. मु. आबादी, व अराजीराज भूमि है जिसकी कानूनी तौर से वसीयत नहीं की जा सकती है इसलिए भी गैरखातेदारी भूमि की वसीयत होने से तथाकथित वसीयत दिनांक 5.5.2003 नुमाईशी व शुन्य है। गैरसायल सं. 1 ने दिनाक 5.5.2003 को तथाकथित वसीयत के आधार पर सायला के पिता की कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा फर्जी एवं नुमाईशी गोदनामा तथाकथित वसीयत के आधार पर मृतक ख्यालीराम की कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथाकथित वसीयत दिनांक 5.5.2003 फर्जी एवं नुमाईशी तौर से तैयार की गई है। जिसके आधार पर सायला को कोई हक अधिकार हासिल नही होते है ग्राम श्योरानी के ख०न० 87 की 7 बीघा भूमि ख०न० 99 की 1 बीधा ख०न० 170/1 की 16 बीघा 17 बिस्वा ख0न0 248 की 52 बीघाा 9 बिस्वा भूमि ख0न0 267 की 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि ख०न० 268 की 14 बीघा 9 बिस्वा भूमि ख0न0 282 की 9 बीघा कुल 31.5270 हैक्ट भूमि रेखाराम वल्द श्योराम की अर्जित भूमि है जिसमें मृतक ख्यालीराम का उनके जीवनकाल में मिन सायला के साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे। मृतक ख्यालीराम को सायला के हक व हिस्से की भूमि की वसीयत कराने का कोई अधिकार नही था ना ही उन्होने अपने जीवन काल में कोई वसीयत निष्पादित की तथा ग्राम ढाणी लेधान तहसील रावतसर के ख0न0 1272 व 1273 की कुल 26 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि भी पैतृक कृषि भूमि तथा रोही मौजा श्योरानी के ख0न0 43 44 व 54 व 296 की 74 बीघा 3 बिस्वा भूमि गोचर, गै.मु. आबादी, व अराजीराज भूमि है जिसकी कानूनी तौर से वसीयत निष्पादित नही की जा सकती वसीयत दिनांक 5.5.2003 गैरखातेदारी भूमि पैतृक भूमि की होने भी शुन्य है तथा नुमाईशी दस्तावेज है तथा (प्हदवतम) इग्नोर किये जाने योग्य है। वाद भूमि की सायला अकेली खातेदार काश्तकार है गैरसायल सं. 1 उपरोक्त आशयों की सायला घोषणा करापाने की अधिकारिणी है। गैरसायल सं. 1 चतुर व चालाक व्यक्ति है तथ उसने सायला के पिता से साजिशाना एवं नुमाईशी दस्तावेज तथाकथित दत्तक गृहण विलेख दिनांक 10.4.2018 को लिखवा लिया तथा उसके बाद दिनांक 5.5.2003 को तथाकथित वसीयत लिखवा ली उसके बाद गैरसायल सं.1 ने नुमाईश एवं साजिसाना तौर से दस्तावेजो में सायला के पिता ख्यालीराम का पुत्र बनने के लिए कभी वारिसाना प्रभावी नुमाईशी तौर से बनाने के लिए प्रयासरत है तथा वोटर आई.डी फर्जी तौर से बनाने के लिए आवेदन किया जो बी.एल.ओ. श्योरानी ने खारीज कर दिया गैरसायल सं. 1 का लक्ष्य मृतक ख्यालीराम जो सायला के पिता है कि भूमि को हड़प करना चाहता है तथा विभिन्न दस्तावेज जो फर्जी साजिसाना है को अपने को पुत्र दर्शाने वाले दस्तावेज मिथ्या तौर से तैयार क़रने में लगा है। गैरसायल सं. 1 ने सायला के कब्जा काश्त की फसल को सावणी जुलाई 2020 को उलट पलट दिया तथा स्वंय ने सायला की कब्जा काश्त को तोई लगाकर मिस्मार कर दिया फिर पुनः उसमें ग्वार बाजरा काश्त कर दिया गैरसायल सं. 1 ने सायला को जबरन वे कब्जा किया है इसलिए [illegible] गैरसायल सं. 1 को वाद भूमि में से जरिये पुलिस इमीदाद के बेदखल [illegible] उपरोक्त आशयों की सायला घोषणा करापाने की अधिकारिणी है। गैरसायल सं. 1 वाद भूमि को नुमाईशी दस्तावेज के आधार पर स्वंय हड़प करना चाहता है। तथा गैरसायल सं. 1 ने रोजना नये–नये दस्तावेज फर्जी /

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साजिशाना तौर से अपने पक्ष में बनाने पर आमादा है तथा वाद भूमि से सायला को बेदखल कर दिया है तथा गैरसायल सं. 1 सायला की पैतृक भूमि जो उसकी अकेली की है की आमदनी / फसल को अकेला खा रहा रहा है तथा गैरसायल सं. 1 अकेला ही उक्त फसल ले जा रहा है। जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होती है सायला अनपढ / साक्षर महिला है तथा देहान्ती गावं की कमजोर व पर्दानशीन औरत है गैरसायल सं. 1 ताकतवर राजनेतिक पहुंच वाला व्यक्ति है बड़े–बड़े नेताओं से व पुलिस से साठ–गाठ रखता है इसी आधार पर सायला की कब्जा काश्त में गैरसायल सं. 1 दखलयाबि कर ली है। तथा सायला को महकमा पुलिस ने भी डराया धमकाया तथा गैरसायल सं. 1 को कब्जा जबरिया तौर से कराया तथा सायला व उसके पति को थाने में घन्टे तक बैठाया रखा है तथा गैरसायल सं. 1 ताकत वर व पैसे वाला व्यक्ति है तथा सायला की वाद भूमि को अपने नाम करवाकर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यदि गैरसायल सं. 1 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब होता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए सायला वाद भूमि पर रिसिवर नियुक्त करवा पाने की की मजाज है। भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा भूमि की फसल की आय ताफैसला खजाना राज जमा करवा देवे। वाद भूमि इन मिडियों है तथा वाद भूमि की गैरसायल जबरन फसल उठाकर उसमें अर्जित आय को अकेला हडप कर रहा है इसलिए वाद भूमि केस सिक्योरिटी पर दिये जाने का आदेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता सं. 40/44, 46 के ख0न0 87 की 3.5420 हैक्ट ख0न0 99 की 0.5060 हैक्ट भूमि ख0न0 170/1 की 6.2900 हैक्ट भूमि ख0न0 248 की 14.2820 हैक्ट भूमि ख0न0 267 की 0.9110 हैक्ट भूमि ख0न0 268 की 3.6560 हैक्ट भूमि ख0न0 282 की 2. 3400 हैक्ट भूमि कुल 7 खसरेजात की 31.5270 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ग्राम ढाणी लेधान तहसील रावतसर के ख0न0 1272 व 1273 की कुल 26 बीघा भूमि में से 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थीया वाद भूमि की अकेली खातेदार काश्तकार है तथा मृतक ख्यालीराम की एक मात्र सन्तान उनकी पुत्री है अप्रार्थी सं. 1 वाद भूमि मे जबरन कब्जा करने की कोशिश में है तथा वाद भूमि की जबरन फसल उठाने पर आमादा है प्रथम दृष्टया प्रर्थीया वाद भूमि की खातेदार काश्तकार है भमि इन मिड़ियो है तथा अप्रार्थी हमेशा कब्जा लेने के लिए झगडा करता रहता है एवं 2000 रूपये प्रतिबीघा की काश्त करने हेतु नगद सिक्योरिटी पर ही दी जावे तथा रिसीवर नियुक्ति किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रार्थीया ने शीर्षक प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 का पता दुनीचंद पुत्र श्योकरण असदभावना पूर्वक मिथ्या अंकित किया है। वस्तुतः अप्रार्थी संख्या 1 स्व० श्री ख्यालीराम का दत्तक पुत्र है तथा प्रार्थीया ने असदभावनापूर्वक इस तथ्य को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की वल्दीयत गलत दर्ज की है। श्री श्योकरण अप्रार्थी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता अवश्य है लेकिन श्री श्योकर[illegible] के बड़े भा[illegible]लीराम ने अप्रार्थी संख्या 1 को दत्तक में ग्रहण कर लिया था व इस प्रका[illegible] का दत्तक पुत्र है। उक्त भूमि स्व० श्री ख्यालीराम पुत्र श्री [illegible] राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। प्रार्थीया का यह कथन असत्य है कि वह स्व० श्री ख्याल[illegible]म पुत्र श्री रेखाराम की एक मात्र संतान हो और कि इसके अलावा स्व० श्री ख्यालीराम के कोई पुत्र संतान ना हो। वस्तुतः स्व० श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ख्यालीराम ने अप्रार्थी संख्या 1 को दत्तक में ग्रहण किया है तथा प्रार्थीया के साथ साथ अप्रार्थी संख्या 1 भी स्व० श्री ख्यालीराम का दत्तक पुत्र है। इस चरण में वर्णित यह तथ्य भी कतई गलत व झूठ है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने स्व० श्री ख्यालीराम से साजिश रचकर बेईमानी से दिनांक 10.04.2018 को दत्तक ग्रहण विलेख लिखवा लिया हो। वस्तुतः स्व० श्री ख्यालीराम ने अप्रार्थी संख्या 1 को सम्वत् 2040 में अक्ष्य तृतीया के शुभअवसर पर हिन्दू रीति रिवाज अनुसार दत्तक ग्रहण की रस्मों के अनुसार अपनी धर्मपत्नी श्रीमति परमेश्वरी की सहमति से व अप्रार्थी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता श्री श्योकरण व प्राकृतिक माता श्रीमति मोहनी देवी की सहमति से दत्तक में ग्रहण कर लिया था। तत्समय अप्रार्थी संख्या 1, 12 वर्ष की आयु में अविवाहित था इस दत्तक ग्रहण की अभिस्वीकृति स्वरूप स्व० श्री ख्यालीराम ने रोबरू गवाहान व स्वयं प्रार्थीया की उपस्थिति में दिनांक 09.04.2018 को दत्तक ग्रहण विलेख निष्पादित कर दिनांक 10.04.2018 को उपपंजीयक नोहर के समक्ष पंजीकृत करवाया था। प्रार्थीया ने मिथ्या आधारों पर उक्त दत्तक ग्रहण विलेख को वरिष्ठ सिविल न्यायालय नोहर के समक्ष सिविल वाद मन्जू बनाम दुनीचन्द में अवश्य चुनौती दी हुई है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 सुदृढ़ आधारों पर विरोध कर रहा है। प्रार्थीया का यह कथन कतई झूठ है कि अप्रार्थी संख्या 1 स्व० श्री ख्यालीराम के पुत्र की हैसियत से ना रहा हो और कि स्व० श्री श्योकरण व स्व० श्रीमति मोहनी देवी ने ही अप्रार्थी संख्या 1 का पालन पोषण किया हो। वस्तुतः सम्वत् 2040 से ही अप्रार्थी संख्या 1 स्व० श्री ख्यालीराम के परिवार में अन्तरित हो गया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने ही अपने दत्तक ग्रहिता माता पिता की सेवा सुश्रुषा की। प्रार्थीया दत्तक ग्रहण विलेख दिनांक 09.04.2018 स्व० श्री ख्यालीराम की स्वतंत्र इच्छा व उनकी सहमति से निष्पादित नहीं होने के मिथ्या कथन किये है। अपार्थी संख्या 1 का दत्तक में जाने से पूर्व 5 वर्ष की आयु में स्कूल में दाखिल हो चुका था। इस कारण विद्यालय अभिलेख में उसके प्राकृतिक पिता का नाम दर्ज हुआ जो निरंतर चलता रहा। दत्तक ग्रहण के पश्चात मतदाता सूची व राशन कार्ड में अपार्थी संख्या 1 का नाम स्व० श्री ख्यालीराम के दत्तक पुत्र की हैसियत से दर्ज हुआ है। प्रार्थीया का यह कथन भी कतई झूठ है कि स्व० श्री ख्यालीराम ने दिनांक 05.05.2003 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित न की हो। प्रार्थीया का यह कथन भी कतई झूठ है कि स्व० श्री ख्यालीराम प्रार्थीया को अपनी चल व अचल सम्पति से वंचित न करना चाहते हो। स्व० श्री ख्यालीराम पुराने विचारों के व्यक्ति थे तथा अपनी सम्पति अपने परिवार में ही रखना चाहते थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रति उनका असीम स्नेह व प्यार था तथा इसी आशय हेतु उन्होनें रोबरू गवाहान दिनांक 05.05.2003 को वसीयत निष्पादित की। स्व० श्री ख्यालीराम ने अपनी उक्त वर्णित भूमि में से 20 बीघा भूमि अपने छोटे भाई अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता के पक्ष में दिनांक 10.04.2018 को वसीयत पंजीकृत करवाई थी। वसीयतनामा दिनांक 05.05.2003 किसी भी प्रकार से सन्देहप्रद नहीं है तथा एक वैध व प्रभावशील दस्तावेज है। प्रार्थीया का यह कथन कतई गलत, झूठ व निराधार है कि दस्तावेज गोदनामा दिनांक 10.04.2018 व वसीयतनामा दिनांक 05.05.2003 अप्रार्थी संख्या 1 ने बेईमानी व साजिश वश स्व० श्री ख्यालीराम को धोखे व मुगालते में रखकर उनकी वृद्धावस्था व बीमारी का फायदा उठाकर उनकी भूमि को हड़प करने की नियत से करवाये हो। वस्तुतः दिनांक 10.04.2018 को स्व० श्री ख्यालीराम ने अपने छोटे भा[illegible]ण के पक्ष में 20 बीघा भूमि की वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति से [illegible] थी व उसी दिन दत्तक ग्रहण विलेख पंजीकृत करवाया था। प्रार्थीया [illegible] श्योकरण के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सही होना व्यक्त कर रही है व उसी दिवस स्व० श्री ख्यालीराम द्वारा निष्पादित दत्तक ग्रहण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विलेख को इन्कार कर रही है जो परस्पर विरोधाभासी है जबकि वास्तविकता यह है कि स्व० श्री ब्यालीराम ने सर्वप्रथम दत्तक ग्रहण विलेख निष्पादित किया व तत्पश्चात् अपने छोटे भाई श्योकरण के पक्ष में वसीयत निष्पादित की। स्व० श्री ख्यालीराम व उनकी धर्मपत्नी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उसकी 12 वर्ष की आयु में उसके प्राकृतिक माता पिता की सहमति से अक्ष्य तृतीया सम्वत् 2040 को मुताबिक हिन्दू रस्म रिवाज खोला की रस्म पूर्ण करते हुए दत्तक में ग्रहण किया था। इस दत्तक ग्रहण विलेख की अभिस्वीकृति स्वरूप स्व० श्री ख्यालीराम ने दिनांक 10.04.2018 को रजिस्टर्ड दत्तक ग्रहण विलेख प्रार्थीया की मौजूदगी में निष्पादित किया है। इस दत्तक ग्रहण विलेख की मौजूदगी में प्रार्थीया को दावा हाजा में अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया स्वयं ने उक्त दत्तक ग्रहण विलेख को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर के समक्ष चुनौती दी हुई है तथा उक्त सिविल वाद का अंतिम निर्णय होने से पूर्व राजस्व वाद की उक्त कार्यवाही स्थगित किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्यू 2005(1) पेज न0 249, आरएलडब्यू 2005(1) पेज न0 453, आरएलडब्यू 2015(1) पेज न0 650, आरएलडब्यू 2017(2) पेज न0 962 पेश किये जिनाक हमने सम्मान अवलोकर किया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में उपयोग में लिया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि सायला व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायला द्वारा उक्त भूमि को रिसिवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीया का कथन है कि अप्रार्थी मेरे पिता का दत्तक पुत्र नही है एवं अप्रार्थी स 1 द्वारा मेरे पिता को बहकावे में लेकर उक्त भूमि की वसीयत अपने पक्ष में करवाई गई है जबकि ख्यालीराम की एक मात्र वारिस प्रार्थीया है लेकिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया की भूमि पर जबरन फसल काटने एवं कब्जा करने की फिराक में है अतः उक्त भूमि का रिसिवर नियुक्त किया जावें। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ख्यालीराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा जबरन फसल काटकर प्रार्थीया के कब्जा में दखल दिया जा रहा है लेकिन अप्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा हो।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायला का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साक्ष्य सबूतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर